छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर दिनांक ....

क्रमांक एफ 20–36/2014/11/6 :: औद्योगिक नीति 2014–19 में प्रावधानित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संबंधित अनुदान योजनाओं की अधिसूचनाओं में आवेदन करने की प्रक्रिया, समय–सीमा एवं आवेदन करने हेतु चेकलिस्ट भी अधिसूचित गई है।

2/ निवेशकों की सुविधा हेतु Online Single Window System पर अनुदान आवेदनों के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची, आवेदन के लिये निर्धारित समय–सीमा की एकजाई जानकारी राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करता है:–

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क. एवं	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
1.	ब्याज अनुदान	अधिसूचना क्र एफ–20–31/2015/11/(6), दिनांक 04.06.2015	(1) प्रथम क्लेम वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक/अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ऋण वितरण के प्रथम दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो से 01 वर्ष के भीतर। (2) आगामी छः माही क्लेम अगले छः माह के भीतर	(1) लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई0एम0 पार्ट–1/उद्यम आकांक्षा/ आई0ई0एम0/ आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस (जो लागू हो)/उत्पादन प्रमाण पत्र (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, शवलीकरण से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ ई.एम. पार्ट–2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज /स्थापित राईस मिलों में आधुनिकीकरण से संबंधित इन्द्राज । (3) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र । (4) निःशक्त से संबंधित प्रकरणों में निःशक्तता से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (5) सेवा निवृत्त सैनिक से संबंधित प्रकरणों में संबंधित प्रशासकीय विभागीय/ कार्यालय से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

9 OCT 2017
उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ आ.641 दि.0–10

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क. एवं	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
				(6) नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (7) ऋण स्वीकृति पत्र (सिर्फ पहले आवेदन के साथ), उसके पश्चात स्वीकृति पत्र में संशोधन/परिर्वतन होने पर सबंधित क्लेम अवधि में संशोधित ऋण स्वीकृति पत्र। (8) संबंधित अवधि का बैंक स्टेटमेंट। (9) प्राथमिकता श्रेणी से संबंधित मान्यता पत्र । (10) वित्तीय संस्थाओं / बैंकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सबंधित क्लेम अवधि में (छः मास) में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा औद्योगिक इकाई किसी भी रूप में "ऋण न चुकाने वाला" (Defaulter) नहीं है या यदि ऋण के भुगतान हेतु स्थगन दिया हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थगन प्रमाण पत्र। (11) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।
2	भू–प्रब्याजी में छूट	अधिसूचना क्र. एफ–20–24 /2015/11/(6), दिनांक 07.05.2015	कोई समय सीमा नहीं। आशय पत्र जारी होने के पूर्व	(1) भू आबंटन हेतु मांग पत्र/भू आशय पत्र। (2) उद्यमी के वर्ग से संबंधित दस्तावेज। (3) प्राथमिकता उद्योग प्रमाण पत्र।
3	स्टाम्प शुल्क से छूट (भूमि के क्रय/पट्टे के लिखितों हेतु)	अधिसूचना क्र. एफ–10–22 /2015/वा. क.(पं)/पांच(41), दिनांक 23.04.2015	कोई समय सीमा नहीं।	(1) उद्यम आकांक्षा (2) भूमि संबंधी दस्तावेज (निजी भूमि के प्रकरणों में) (3) भूमि क्रय अनुबंध/ भूमि आबंटन पत्र (4) परियोजना प्रतिवेदन की प्रति (5) प्रस्तावित रोजगार के संबंध में शपथ पत्र।
4	स्टाम्प शुल्क से छूट (बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण/अग्रिम हेतु)	अधिसूचना क्र. एफ–10–22 /2015/वा. क.(पं)/पांच(42), दिनांक 23.04.2015	प्रथम ऋण स्वीकृति दिनांक से 3 वर्ष तक	(1) उद्यम आकांक्षा (2) ऋण स्वीकृति पत्र। (3) परियोजना प्रतिवेदन की प्रति (4) प्रस्तावित रोजगार के संबंध में शपथ पत्र।
5	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	अधिसूचना क्र. एफ–20–68/2015/11/(6), दिनांक 21.08.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक	(1) वैध–लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई0एम0 पार्ट–1/ उद्यम आकांक्षा/ आई0ई0एम0/

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क. एवं	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
		2015	के 01 वर्ष के भीतर अथवा अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के भीतर जो पश्चात्वर्ती हो।	औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, शवलीकरण से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ ई.एम. पार्ट–2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में इंद्राज की प्रति । (3) राज्य शासन एवं औद्योगिक इकाई के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) की प्रति (4) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र (मूल प्रति) (5) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यो के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाण पत्र (सूक्ष्म व लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में) (मूल प्रति) (6) स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची (मूल प्रति) (7) भारत सरकार/राज्य शासन के अन्य विभागों/वित्तीय संस्थाओं/ बोर्ड/लघु उद्योग विकास बैंक/ सिडवी आदि से स्थायी पूंजी निवेश पर आधारित कोई अनुदान न लिये जाने बाबत शपथ पत्र (8) मूल्य संवर्धितकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र/ अभिलेख/ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन। (9) निवेशक के वर्ग से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
6	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान	अधिसूचना क्र. एफ–20–81/2015/ 11/(6), दिनांक 24.09. 2015	गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने का दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक या अधिसूचना जारी होने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो से 01 वर्ष के	(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग पंजीयन/ई0एम0पार्ट–1/ उद्यम आकांक्षा/आई0ई0एम0/ औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र (जो लागू हो) (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र। (3) निर्धारित प्रारूप पर व्यय से संबंधित चार्टड एकाउटेन्ट का प्रमाण पत्र। (4) गुणवत्ता प्रमाणीकरण से संबंधित प्रमाण पत्र– आई0एस0ओ0

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्र. एवं	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
			भीतर।	9000/आई0एस0ओ 14000/आई0एस0ओ 18000, आई.एस.ओ.–22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई.), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण के समतुल्य प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (5) निवेशक के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत उद्यमियों संबंधित प्रमाण पत्र/अभिलेख । (6) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।
7	मार्जिन मनी अनुदान	अधिसूचना क्र. एफ–20–54/2015/11/(6), दिनांक 17.06.2015	कोई समय सीमा नहीं।	(1) वैध ई0एम0पार्ट–1/ उद्यम आकांक्षा/आई0ई0एम0/ औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र। (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र/ भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/निःशक्तजन का प्रमाण पत्र, जो लागू हो। (3) भारत सरकार/राज्य शासन के अन्य विभागों / वित्तीय संस्थाओं /बोर्ड /लघु उद्योग विकास बैंक आदि से स्थायी पूंजी निवेश/मार्जिन मनी पर आधारित कोई अनुदान न लिये जाने बाबत शपथ पत्र (4) वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र। (5) परियोजना हेतु न्यूनतम 5 प्रतिशत मार्जिन मनी राशि की व्यवस्था स्वयं के स्त्रोंतों से करने संबंधी शपथ पत्र । (6) औद्योगिक नीति के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत में कुशल, अकुशल व प्रबंधकीय श्रेणी में नियमानुसार रोजगार देने हेतु शपथ पत्र (7) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।
8	विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान	अधिसूचना क्र. एफ–20–63/2015/11/(6), दिनांक 17.06.2015	प्रथम क्लेम अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक	(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध–लघु उद्योग पंजीयन/ई0एम0 पार्ट–1/ उद्यम आकांक्षा/ आई0ई0एम0/ आशय पत्र/ औद्योगिक लायसेंस (जो लागू हो) (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क. एवं	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
			जो पश्चातवर्ती हो से 01 वर्ष के भीतर।	पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र (3) निःशक्तता से संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मय फोटो के (4) वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये वेतन से संबंधित पत्रक (5) नियुक्ति आदेश की प्रतियां मय फोटोग्राफ। (6) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।
9	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान	अधिसूचना क्र. एफ–20–82/2015/11/(6), दिनांक 24.09.2015	अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक जो पश्चातवर्ती हो से 01 वर्ष के भीतर।	(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग पंजीयन/ई0एम0 पार्ट–1/ उद्यम आकांक्षा/ आई0ई0एम0/ औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र (जो लागू हो) (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र (3) निर्धारित प्रारूप पर व्ययों से सबंधित चार्टड एकाउण्टेंट प्रमाण पत्र। (4) मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कन्सलटेंट से परियोजना प्रतिवेदन देयक व भुगतान प्राप्ति की रसीद । (5) परियोजना प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति । (6) निवेशक के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत उद्यमियों का संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र/अभिलेख। (7) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।
10	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान	अधिसूचना क्र. एफ–20–83/2015/11/(6), दिनांक 28.09.2015	पेटेन्ट स्वीकृति के दिनांक/अनुसंधान स्वीकृति हो जाने का दिनांक या अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो से 01 वर्ष के भीतर।	(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–1/ उद्यम आकांक्षा/ आई0ई0एम0/ औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र। (3) निर्धारित प्रारूप पर व्यय से संबंधित चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण पत्र। (4) तकनीकी पेटेंट/अनुसंधान स्वीकृति से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति। (5) निवेशक के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत उद्यमियों से संबंधित प्रमाण पत्र। (6) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्र. एवं	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
11	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान	अधिसूचना क्र. एफ–20–23/2016/11/(6), दिनांक 22.07.2017	प्रौद्योगिकी क्रय करने के दिनांक/अधिसूचना जारी होने के दिनांक जो पश्चातवर्ती हो, 01 वर्ष के भीतर	(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–1/ उद्यम आकांक्षा/ आई.ई.एम/ औद्योगिक लायसेंस /उद्योग आधार कार्ड ज्ञापन या राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक प्रमाण पत्र। (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2, उद्योग आधार कार्ड एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र। (3) निर्धारित प्रारूप पर व्यय से संबंधित चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण पत्र। (4) प्रौद्योगिकी क्रय से संबंधित अनुबंध/ देयक आदि । (5) निवेशक के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत उद्यमियों से संबंधित प्रमाण पत्र। (6) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।
12	प्रवेश कर भुगतान से छूट	अधिसूचना क्र. एफ–10–28/ 2016/वा.क./पांच (67), दिनांक 19.07.2016	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर	(1) ई0एम0 पार्ट–1/ उद्यम आकांक्षा (2) वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र (3) वाणिज्यिक कर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र (4) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन। (5) औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आबंटन से संबंधित प्रमाण पत्र (6) निवेशक के वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र
13	विद्युत शुल्क से छूट	अधिसूचना क्र. एफ–21–07/ 2015/13/2/उ.वि, दिनांक 18.03.2016	अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक जो पश्चातवर्ती हो से 01 वर्ष के भीतर।	1 ई.एम. पार्ट–1/उद्यम आकांक्षा/ आई0ई0एम0 की प्रति । 2 स्थायी पंजीयन/ई0एम0 पार्ट–2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र 3 एम0ओ0यू0 की प्रति। 4 प्रोजेक्ट रिपोर्ट 5 विद्युत कनेक्शन प्रमाण–पत्र 6 पूंजी निवेश के संबंध में सी0ए0 का प्रमाण पत्र 7 छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जल एवं वायु सम्मति पत्र 8 वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त वैट पंजीयन प्रमाण पत्र/जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन। 9 औद्योगिक क्षेत्र के बाहर इकाई स्थापित होने पर ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण–पत्र 10 अनुमोदित फैक्ट्री ले–आउट 11 राज्य में मूल निवासियों को दिये गये रोजगार संबंधी प्रमाण पत्र

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क. एवं	आवेदन कर... की समय–सी...	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
14	निजी औद्योगिक क्षेत्र / पार्क की स्थापना पर अधोसंरचना अनुदान	अधिसूचना क. एफ–20–102 / 2015 / ग्यारह / (छः), दिनांक 15. 01.2016	कोई समय सी... नहीं।	1. चार्टर्ड एकाउण्टेन्ड का प्रमाण पत्र 2. चार्टर्ड इंजीनियर का वैल्यूवेशन प्रमाण पत्र 3. औद्योगिक क्षेत्र / पार्क की स्थापना हेतु पूर्णता प्रमाण पत्र 4. व्यय से संबंधित सूची

3/ पात्र उद्योगों को राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014–19, के उक्त अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में तालिका के कॉलम 4 में अंकित समयावधि में तालिका के कॉलम 5 में अंकित अभिलेखों सहित संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों में प्रस्तुत करना होगा।

4/ जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों के मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, अधिसूचना अंकित अधिकारियों से क्लेम प्रकरण का स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन करवायेंगे। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकार की परिधि में होने पर, आवेदन क्लेम पर स्वीकृति / निरस्तीकरण करेंगे।

5/ प्रकरण उद्योग संचालनालय के क्षेत्राधिकार में होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, के मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक अपनी टीप व अनुशंसा सहित प्रकरण उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा, जिस पर उद्योग आयुक्त / संचालक / राज्य स्तरीय समिति / कियान्वयन समिति, जो लागू हो द्वारा निर्णय लिया जावेगा। निरस्तीकरण के प्रकरणों में चाहे व जिला स्तर पर हो अथवा राज्य स्तर पर हो, निरस्तीकरण का कारण भी दर्शाना होगा। निरस्तीकरण की स्थिति में अधिनीय संबंधी प्रावधानों का भी उल्लेख करना होगा।

6/ अनुदान योजना की अन्य जानकारी हेतु विभाग की वेबसाईट http://industries.cg.gov.in/ पर संपर्क करें।

7/ आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में 7 दिनों की समयावधि में सक्षम अधिकारी द्वारा एक बार में कमीपूर्ति बाबत् ई–मेल से सूचित किया जावेगा व प्रकरणों का निराकरण संबंधित अधिसूचनाओं की शर्तों के अधीन ही होगा।

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर दिनांक..........................

क्रमांक एफ 20–87/2012/11/6 :: कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19 में प्रावधानित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संबंधित अनुदान योजनाओं की अधिसूचनाओं में आवेदन करने की प्रक्रिया, समय–सीमा एवं आवेदन करने हेतु चेकलिस्ट भी अधिसूचित गई है।

2/ निवेशकों की सुविधा हेतु Online Single Window System पर अनुदान आवेदनों के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची, आवेदन के लिये निर्धारित समय–सीमा की एकजाई जानकारी राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करता है:–

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्र..	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
1	पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता	अधिसूचना क्रमांक एफ 20–09/2013/11/6 दिनांक 30.11.2015	अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक जो पश्चातवर्ती हो से 01 वर्ष के भीतर।	(1) वैद्य ई0एम0 पार्ट–1/ उद्यम आकांक्षा/आई0ई0एम0/ औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र (जो लागू हो) (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ ई. एम. पार्ट–2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज । (3) राज्य शासन एवं औद्योगिक इकाई के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) की प्रति (4) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र (मूल प्रति) (5) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन / मशीनरी के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाण पत्र (सूक्ष्म,

1659 16-10
13 OCT 2017

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्र..	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
				लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में) (मूल प्रति) (6) पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता के अन्तर्गत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची (मूल प्रति) (7) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाइल/मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट (8) भारत सरकार / राज्य सरकार के अन्य विभागों / वित्तीय संस्थाओं /बोर्ड /लघु उद्योग विकास बैंक/वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों से स्थायी पूंजी निवेष पर आधारित कोई अनुदान न लिये जाने बाबत शपथ पत्र (9) वाणिज्यिक कर विभाग से वेटकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र (10) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्लांट प्रारंभ करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा/ प्लांट स्थापित करने बाबत सम्मति/ अनुज्ञा । (11) मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना भवन के अनुमोदन से संबंधित सम्मति (12) भूमि व्यपवर्तन/ अनुमति से संबंधित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (13) नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं छत्तीसगढ़ विकास नियम 1984 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा (14) स्थानीय निकायों यथा– ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्र..	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
				नगर पालिका/ नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति / अनापत्ति प्रमाण पत्र (15) छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/निजी उपक्रम से विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र (16) चीफ इन्सपेक्टर ऑफ बायलर्स द्वारा इंडियन बायलर अधिनियम के तहत बायलर स्थापित करने बाबत् सम्मति/ अनुज्ञा (17) भू–स्वामित्व /लीज से संबंधित दस्तावेज । (18) बैंक ऋण से स्वीकृति एवं वितरण प्रमाण पत्र। (19) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।
2	मंडी शुल्क से छूट	अधिसूचना क्र. 2615/डी–15/ 116 / पार्ट–2/14–2, दिनांक 11.06.2014	अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक जो पश्चातवर्ती हो से 01 वर्ष के भीतर।	(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–1 / उद्यम आकांक्षा/ आई0ई0एम0। (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ ई. एम. पार्ट–2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज । (3) निर्धारित प्रारूप पर मंडी शुल्क के भुगतान से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड/कृषि उपज मंडी समिति का प्रमाण पत्र एवं सूची । (4) कृषि उपज मंडी समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र। (5) राज्य शासन एवं औद्योगिक इकाई के मध्यम निश्पादित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) की प्रति (यदि लागू हो तो) । (6) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्र..	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
				प्रमाण पत्र (मूल प्रति)। (7) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाण पत्र (सूक्ष्म, लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में) (मूल प्रति)। (8) स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची (मूल प्रति)। (9) लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाइल/मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट। (10) वाणिज्यिक कर विभाग से मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र (11) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्लांट प्रारंभ करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा /प्लांट स्थापित करने बाबत सम्मति/ अनुज्ञा। (12) मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना भवन के अनुमोदन से संबंधित सम्मति। (13) भूमि व्यपवर्तन/अनुमति से संबंधित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (14) नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं छत्तीसगढ़ विकास नियम 1984 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा (यदि लागू हो) (15) स्थानीय निकायों यथा– ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/ नगर पालिका/ नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति / अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्र..	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
4	प्रवेश कर भूगतान से छूट	अधिसूचना क. एफ–10–30/2013/वाक/(पांच)/38, दिनांक 29.05.2013	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 150 दिन के भीतर	(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–1 / उद्यम आकांक्षा/ आई0ई0एम0 (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ ई. एम. पार्ट–2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज । (3) राज्य शासन एवं औद्योगिक इकाई के मध्यम निश्पादित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) की प्रति (यदि लागू हो तो) । (4) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र (मूल प्रति) (5) चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाण पत्र (सूक्ष्म, लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में) (मूल प्रति) (6) स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची (मूल प्रति)। (7) लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाइल/मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट (8) वाणिज्यिक कर विभाग से मूल्य संवर्धन कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाण पत्र (9) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्र..	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
				1974 एवं वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्लांट प्रारंभ करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा/ प्लांट स्थापित करने बाबत सम्मति/ अनुज्ञा । (10)मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना भवन के अनुमोदन से संबंधित सम्मति (11)भूमि व्यपवर्तन/ अनुमति से संबंधित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (12)नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं छत्तीसगढ़ विकास नियम 1984 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा (यदि लागू हो) (13)स्थानीय निकायों यथा– ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/ नगर पालिका/ नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति / अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (14)उर्जा विभाग/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना बाबत जारी अनुमति (15)मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी डी0जी0 सेट स्थापित करने की अनुमति का संक्षिप्त विवरण एवं केप्टिव पावर प्लांट होने संबंधी प्रमाण–पत्र (16)छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/निजी उपक्रम से विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र (17)चीफ इन्सपेक्टर ऑफ बायलर्स द्वारा इंडियन बायलर अधिनियम के तहत बायलर स्थापित करने बाबत् सम्मति/ अनुज्ञा (18)भू–स्वामित्व /लीज से संबंधित दस्तावेज । (19)बैंक ऋण से स्वीकृति एवं वितरण प्रमाण पत्र । (20) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्र..	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
5	छ.ग. राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन			
अ	**अ.** खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन / स्थापना / आधुनिकीकरण	अधिसूचना क्र. एफ–20–86 / 2015 / ग्यारह / (छै), दिनांक 28.01.2016	पूर्वानुमति	1. उद्यम आकांक्षा 2. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)। 3. बैंक / वित्तीय संस्थान की सावधि ऋण का मंजूरी पत्र, यदि कोई हो। 4. बैंक / वित्तीय संस्थान मूल्यांकन रिपोर्ट। 5. संगठन का संस्थापना / पंजीकरण प्रमाणपत्र, संस्था का ज्ञापन और अनुच्छेद तथा सोसायटी के उपनियम (यदि लागू हो) / भागीदारी प्रलेख आदि। 6. संगठन के पदाधिकारियों / प्रमोटरों का जीवन–वृत्त / पृष्ठभूमि। 7. पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा विवरण, विस्तार / उन्नयन प्रस्तावों / मामलों की स्थिति में। 8. बिल्डिंग प्लान का ब्लू प्रिंट। 9. भूमि दस्तावेज की प्रति। 10. परिकल्पित तकनीकी सिविल निर्माण कार्यो का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा प्रमाणित। 11. परिकल्पित संयंत्र और मशीनरी का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) द्वारा प्रमाणित। 12. परियोजना के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण आदि के आपूर्तिकर्ताओं के देयक। 13. विपणन कार्यनीति। 14. प्रक्रिया प्रवाह आरेख। 15. उद्योग आधार / ईएम पार्ट–2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र। 16. क्रियान्वयन समय–तालिका, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हो: (क) भूमि अधिग्रहण / आबंटन का दिनांक, (ख) निर्माण कार्य शुरू करने

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्र..	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
				की दिनांक, (ग) निर्माण कार्य पूर्ण होने का दिनांक, (घ) संयंत्र और मशीनरी के लिए आर्डर देने का दिनांक, (ड.) संस्थापन/उत्थापन का दिनांक (च) ट्रायल उत्पादन/प्रचालन का दिनांक, और (छ) वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन का दिनांक। 17. 100/– रूपए मूल्य के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत निष्पादित एक नोटरीकृत शपथ–पत्र। 18. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।
ब	**ब.** उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोल्डचेन (शीत श्रंखला) हेतु, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास	तदैव	पूर्वानुमति	1. उद्यम आकांक्षा 2. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)। 3. बैंक/वित्तीय संस्थान का सावधि ऋण का स्वीकृति पत्र, यदि कोई हो। 4. बैंक/वित्तीय संस्थान की मूल्यांकन रिपोर्ट। 5. संगठन के समावेशन/पंजीकरण का प्रभाव पत्र, संस्था ज्ञापन–पत्र और अन्तर्नियम और सोसायटी के उपनियम (यदि लागू हों) भागीदारी प्रलेख आदि। 6. संगठन के पदाधिकारियों/प्रमोटरों का जीवनवृत/पृष्ठभूमि। 7. पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा विवरण, विस्तार/उन्नयन प्रस्तावों/मामलों की स्थिति में। 8. बिल्डिंग प्लान का ब्लू प्रिंट। 9. भूमि दस्तावेज की प्रति। 10. परिकल्पित तकनीकी सिविल निर्माण कार्यो का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा विधिवत प्रमाणित। 11. परिकल्पित संयंत्र और मशीनरी का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) द्वारा विधिवत

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्र..	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
				प्रमाणित। 12. परियोजना के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण आदि के आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन। 13. विपणन कार्यनीति। 14. प्रक्रिया प्रवाह आरेख। 15. उद्योग आधार ज्ञापन/ईएम पाट–2/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र। 16. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।
स	**स.** ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/ संग्रहण केन्द्र की स्थापना	तदैव	पूर्वानुमति	1. उद्यम आकांक्षा 2. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)। 3. बैंक/वित्तीय संस्थान का सावधि ऋण का स्वीकृति पत्र, यदि कोई हो। 4. बैंक/वित्तीय संस्थान की मूल्यांकन रिपोर्ट। 5. संगठन के समावेशन/पंजकरण का प्रभाव पत्र, संस्था ज्ञापन–पत्र और अन्तर्नियम और सोसायटी के उपनियम (यदि लागू हों) भागीदारी प्रलेख आदि। 6. संगठन के पदाधिकारियों/प्रमोटरों का जीवनवृत/पृष्ठभूमि। 7. बिल्डिंग प्लान का ब्लू प्रिंट। 8. भूमि दस्तावेज की प्रति। 9. परिकल्पित तकनीकी सिविल निर्माण कार्यो का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा विधिवत प्रमाणित। 10. परिकल्पित संयंत्र और मशीनरी का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) द्वारा विधिवत प्रमाणित। 11. परियोजना के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण आदि के आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन। 12. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।

क्र.	योजना का नाम	अधिसूचना क्र..	आवेदन करने की समय–सीमा	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
द	द. रीफर वाहन योजना	तदैव	पूर्वानुमति	1. उद्यम आकांक्षा 2. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)। 3. बैंक/वित्तीय संस्थान की सावधि ऋण का मंजूरी पत्र, यदि कोइ हो। 4. बैंक/वित्तीय संस्थान आंकलन रिपोर्ट। 5. संगठन का संस्थापना/पंजीकरण प्रमाणपत्र, संस्था का ज्ञापन और अनुच्छेद तथा सोसायटी के उपनियम (यदि लागू हो)/भागीदारी प्रलेख आदि। 6. संगठन के पदाधिकारियों/प्रमोटरों का जीवन–वृत्त/पृष्ठभूमि। 7. पिछले तीन वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा विवरण, विस्तार/उन्नयन प्रस्तावों/मामलों की स्थिति में। 8. बिल्डिंग प्लान का ब्लू प्रिंट। 9. भूमि दस्तावेज की प्रति। 10.परिकल्पित तकनीकी सिविल निर्माण कार्यो का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) द्वारा प्रमाणित। 11.परिकल्पित संयंत्र और मशीनरी का मद–वार और लागत–वार ब्यौरा, चार्टर्ड इंजीनियर (मेकेनिकल) द्वारा प्रमाणित। 12.परियोजना के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण आदि के आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन। 13.विपणन कार्यनीति। 14.प्रक्रिया प्रवाह आरेख। 15.एसएसआई/आईईएम पंजीकरण आदि। 16. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।

3/ पात्र उद्योगों को राज्य शासन की औद्योगिक नीति 2014–19, के उक्त अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में तालिका के कॉलम 4 में अंकित समयावधि में तालिका के कॉलम 5 में अंकित अभिलेखों सहित संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों में प्रस्तुत करना होगा।

4/ जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, अधिसूचना अंकित अधिकारियों से क्लेम प्रकरण का स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन करवायेंगे। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकार की परिधि में होने पर, आवेदन क्लेम पर स्वीकृति/निरस्तीकरण करेंगे।

5/ प्रकरण उद्योग संचालनालय के क्षेत्राधिकार में होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक अपनी टीप व अनुशंसा सहित प्रकरण उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा, जिस पर उद्योग आयुक्त/संचालक/राज्य स्तरीय समिति/क्रियान्वयन समिति, जो लागू हो द्वारा निर्णय लिया जावेगा। निरस्तीकरण के प्रकरणों में चाहे व जिला स्तर पर हो अथवा राज्य स्तर पर हो, निरस्तीकरण का कारण भी दर्शाना होगा। निरस्तीकरण की स्थिति में अपीलीय संबंधी प्रावधानों का भी उल्लेख करना होगा।

6/ अनुदान योजना की अन्य जानकारी हेतु विभाग की वेबसाईट http://industries.cg.gov.in/ पर संपर्क करें।

7/ आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में 7 दिनों की समयावधि में सक्षम अधिकारी द्वारा एक बार में कमीपूर्ति बाबत् ई–मेल से सूचित किया जावेगा व प्रकरणों का निराकरण संबंधित अधिसूचनाओं की शर्तों के अधीन ही होगा।

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
नया रायपुर दिनांक 10-10-2017

पृष्ठा.क्रमांक एफ 20–87/2012/11/6

प्रतिलिपि :–

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ.ग. रायपुर
2. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव
   कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करवाने का कष्ट करें तथा उसकी 200 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करायें।
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला छ०ग०

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग